न्यायालय जिलाकलक्टर,भरतपुर (राज0)

अपील/रसद/01/2022

योगेन्द्रसिंह उचित मूल्य दुकानदार ग्रांम पंचायत गहलऊ तहसील रुपवासी जिला भरतपुर

.....अपीलान्ट

बनाम

जिला रसद अधिकारी, भरतपुर जरिये पैरोकार रसद

.....रेस्पो0

अपील विरुद्व आदेश जिला रसद अधिकारी भरतपुर दिनांक 9–07–2018 व बाबत प्रकरण संख्या 49/2017

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट भरतपुर (राज.)

निर्णय

दिनांक 8–02–2023

अपील प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं। जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने अपने आदेश दिनांक 9–07–2018 से प्राधिकार पत्र निरस्त किये जाने एवं समस्त प्रतिभूति राशि जप्त सरकार किये जाने की आज्ञा पारित की गई थी। अपीलान्ट ने जिला रसद अधिकारी भरतपुर के आदेश दिनांक 9–07–2018 से व्यथित होकर अपील इस न्यायालय में पेश की गई। इस न्यायालय द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 25/2018 को अपीलान्ट एवं उनके अभिभाषक की अनुपस्थित में आदेश दिनांक 19–01–2021 को अपील अपीलान्ट खारिज कर दी गई थी, इस न्यायालय के आदेश दिनांक 19–01–2021 के खिलाफ एक अपील माननीय खाद्य आयुक्त, राजस्थान जयुपर के समक्ष पेश की गई।

माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर ने पुनरीक्षण याचिका संख्या– 06/2021 उनवानी योगेन्द्र सिंह बनाम जिला रसद अधिकारी स्वीकार करते हुये अपने निर्णय दिनांक 22.12.2021 में इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 19–01–2021 को अपास्त करते हुये प्रकरण इस निर्देश के साथ जिला कलक्टर भरतपुर को पुनः प्रेषित (Remand) किया कि रिविजनकर्ता को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

माननीय अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज. जयपुर के निर्णय दिनांक 22.12.2021 के परिप्रेक्ष्य में अपील पुनः दर्ज रजिस्टर की जाकर उभय पक्षकारान की तलबी की गई। उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि माननीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राज0 जयपुर ने अपने आदेश दिनांक 22.12.2021 से प्रकरण को पुनः सुनवाई किये जाने हेतु श्रीमान को रिमान्ड किया गया है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि तहत न्यायालय जिला रसद अधिकारी भरतपुर ने विधि विरुद्ध आदेश पारित किया है, प्रार्थी को सुनवाई एवं साक्ष्य वगे0 का प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया है, तहत न्यायालय ने प्रार्थी की अनुपस्थित में आदेश पारित किया है, केवल प्रवर्तन निरीक्षक की रिपोर्ट पर अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, यह तथ्य तहत न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट है। अपीलान्ट द्वारा सभी उपभोक्ताओं को राशन सामग्री का वितरण निर्धारित माप दण्डों के अनुसार ही किया जाता रहा है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है कि अपीलान्ट पर लगाये गये आरोप के सम्बन्ध में अपने स्तर पर कोई जांच नहीं कराई गई एवं ना हीं किसी उपभोक्ता के बयान वगे. लिये गये हैं। अपीलान्ट डीलर के खिलाफ किसी भी उपभोक्ता ने सामग्री नहीं मिलने बाबत कोई शिकायत नही की गई है। योग्य अभिभाषक डीलर का यह भी तर्क है कि प्रार्थी द्वारा तहत न्यायालय में करीब 64 उपभोक्ताओं के शपथ पत्र इस आश्य के पेश किये गये थे जिन पर तहत न्यायालय ने कोई गौर नहीं किया और ना हीं उपभोक्ताओं को साक्ष्य के रुप में सत्यता के लिये तलब किया गया है, केवल यह लिख देना कि पश्चातवर्ती सोच को दर्शाता है पर्याप्त नहीं है। प्रार्थी के खिलाफ कालाबाजारी करने सम्बन्धी कोई रिकार्ड नहीं है, उपभोक्ता पोश मशीन पर अगुंठा निशानी करते हैं उपभोक्ता खेतीहर मजूदर वर्ग के हैं अधिकांश के पास पर्याप्त पैसा नहीं होने से अंगूठा निशानी करने के बाद पैसे के उपल्ब्धता के अनुसार सामग्री लेजाते हैं, तथा शेष बची हुई सामग्री को पैसे होते ही बाद में आकर लेजाते हैं, इस प्रकार सामग्री प्रार्थी के पास उपभोक्ताओं की पड़ी रहती है। ये कालाबाजारी की तारीफ नहीं आती है। राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनयमन आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकारी पत्र की किसी भी शर्त उपलंघन नहीं किया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त किया जाने की प्रार्थना की गई।

पैरोकार रसद ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि अपीलान्ट डीलर की दुकान का जांच की गई थी। जांच में सामने आया कि अपीलान्ट डीलर द्वारा बडी संख्या में उपभोक्ताओं के पोस मशीन पर अंगूठा लगा कर पोस तथा स्टॉक वितरण रजिस्टर में वितरण नियमित रुप से दर्शाया गया है। परन्तु दुकान के भौतिक सत्यापन पर 28.80 क्वि. गेंहू तथा 1360 लीटर कैरोसीन वांछित स्टॉक से अधिक पाया गया है। डीलर द्वारा अधिक मिला गेंहू व कैरोसीन कालाबाजारी हेतु बचाई गयी है। मौके पर पाये गये अधिक गेंहू 28.80 क्वि. गेहूं व 1360 लीटर कैरोसीन तेल की बाबत डीलर के विरुद्ध धारा 6(ए) ईसी एक्ट के तहत प्रकरण श्रीमान न्यायालय में पेश किया गया था, प्रकरण धारा 6(ए) ईसी एक्ट में श्रीमान द्वारा सुनवाई करते हुये डीलर को दोषी मानते हुये प्रार्थना पत्र धारा 6(ए) ईसी एक्ट स्वीकार किया जाकर उक्त माल को राजसात किये

जिला कलक्टर
भरतपुर

जाने के आदेश दिये गये । पैरोकार सरकार का यह भी तर्क है कि डीलर द्वारा जो कथित 64 शपथ पत्र डीलर द्वारा दिये गये हैं वे बाद की सोच के तहत दिये गये हैं, कथित 64 उपभोक्ताओ में से किसी ने भी डीलर के पास छोड़े गये गेंहूं या कैरोसीन तेल को दिलाये जाने हेतु जिला रसद कार्यालय या श्रीमान के समक्ष उपस्थित होकर ऐसा कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया। उक्त सभी शपथ पत्र डीलर द्वारा अपने स्तर पर तैयार कराये जाकर पेश किये गये हैं। अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की गई।

हमने पत्रावलीयों का अध्ययन किया गया। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट एवं पैरोकार रसद के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश का अवलोकन किया गया। तहत पत्रावली में उपलब्ध पत्रादि का अध्ययन किया गया। फर्द मोका जप्ती दिनांक 20.5.2017 के अवलोकन से स्पष्ट है कि डीलर की दुकान की जांच उपखण्ड अधिकारी रुपवास के मौखिक निर्देशों पर प्रवर्तन निरीक्षक रसद, एवं उपस्थित अन्य उपस्थित गवाहन की उपस्थित में की गई है, फर्द मौका जप्ती पर अपीलान्ट डीलर के भी हस्ताक्षर किये हुये हैं यानि यह सारी कार्यवाही अपीलान्ट डीलर की उपस्थित में की गई है। वक्त जांच मौके पर मिले अधिक गेहूं एंव कैरोसीन की बाबत डीलर ने इस सम्बन्ध में कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई है। जब कि फर्द मौका निरीक्षण में यह भी उल्लेख किया गया है कि मौके पर उपस्थित उपभोक्ताओं ने डीलर द्वारा इलैक्ट्रोनिक कांटे में गडबड कर कम तोलना व ऑनलाईन ट्रांजेक्शन के बाबजूद खाद्यान्न सामग्री नहीं देना बताया गया है। पत्रावली तहत में उपलब्ध एक शिकायत प्रार्थना पत्र उपखण्ड अधिकारी रुपवास को दिया गया है का अवलोकन किया गया, उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र में उपभोक्ताओं के हस्ताक्षर के साथ सरंपच, गहलऊ के हस्ताक्षर हो रहे हैं, उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि ".....डीलर द्वारा कैरोसीन का वितरण करते वक्त लिये गये बायोमैट्रिक से गेंहू का वितरण पोस मशीन पर कर दिया जाता है हमें खाद्य सुरक्षा सूची में नाम नहीं है ऐसा कहकर गेहू देने से मना कर दिया जाता है ....डीलर द्वारा हमारा राशन हडप कर लिया जाता है...। उक्त शिकायत प्रार्थना पत्र के आधार पर उपखण्ड अधिकारी रुपवास ने अपीलान्ट डीलर की दुकान के जांच के निर्देश दिये गये हैं जैसा कि फर्द मौका में भी इस बात का उल्लेख है। इस प्रकार डीलर का यह कथन कि किसी भी उपभोक्ता ने डीलर के खिलाफ कोई शिकायत नहीं की स्वीकार योग्य नहीं है। वक्त जांच दुकान में मिले अधिक सामग्री की बाबत डीलर का यह कहना कि यह उपभोक्ताओं वक्त वितरण उपभोक्ताओं के पास पर्याप्त पैसे नहीं होने से उपभोक्ता सामग्री छोड़ जाते हैं बाद में आकर ले जाते हैं यह तथ्य भी स्वीकार योग्य नहीं है, डीलर द्वारा अपने स्तर पर करीब 64 उपभोक्ताओं के शपथ पत्र तहत न्यायालय में पेश किये गये हैं शपथ पत्रों में अंकित कथनों में सभी ने यह स्वीकार किया है कि पोस मशीन पर अंगूठा लगाकर आजाते हैं तथा वे 2–3 माह बाद तेल ले जाते हैं। परन्तु किसी भी उपभोक्ता ने अपने शपथ पत्र में यह नहीं बताया

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर

है कि डीलर के पास उनका कितना कैरोसीन एवं कितनी मात्रा में गेंहू कौन कौन से महीने का बकाया है जो उन्हें नहीं मिला है, उन्होने शपथ पत्र में यह भी अंकित नहीं किया है कि वे सामग्री को डीलर के पास क्यों छोड़ कर जाते थे, किसी उपभोक्ता ने अंकित किया है कि नेट वर्क की समस्या रहती है इस समस्या के कारण वे 3–4 माह बाद सामग्री लेकर जाते हैं, जब कि डीलर का कहना है कि ग्रामीण उपभोक्ताओं के पास पर्याप्त पैसे नहीं होने के कारण उपभोक्ता सामग्री छोड़ जाते हैं, डीलर एवं उपभोक्ताओं के कथित शपथ पत्रों अंकित में कथनों में विराधाभाष है। यहाँ यह भी विचारणीय है कि जब कथित उपभोक्ता डीलर के पास तीन चार माह बाद खाद्य सामग्री लेने आते हैं तो डीलर द्वारा तीन चार माह का उक्त उपभोक्ताओं का खाद्य सामग्री का वितरण दिखाकर घाल मेल करने से इन्कार नहीं किया जा सकता है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि कथित शपथ पत्र प्रस्तुतकर्ता उपभोक्ताओं में से किसी ने भी जिला रसद अधिकारी के समक्ष या वक्त प्रकरण धारा 6(ए) ईसी एक्ट विचाराधीन रहते हुये जप्त किये गये गेंहू या कैरोसीन तेल को लेने के लिये कोई उज्रदारी नहीं की गई है, यानि उक्त उपभोक्ताओं का सामग्री में कोई हित नहीं था। प्रकरण धारा 6(ए) ईसी एक्ट स्वीकार किया जाकर अधिक पाई गई सामग्री को राजसात किया गया है, धारा 6(ए) ईसी एक्ट के प्रकरण में पारित निर्णय से यह भी स्पष्ट है कि डीलर पर आरोपो को सिद्ध पाये जाने के कारण खाद्य सामग्री एवं कैरोसीन तेल को राजसात(Confiscate) किया गया है। अपीलान्ट डीलर द्वारा अपने कृत्यों से बचने के लिये कथित शपथ पत्र बाद की सोच के तहत पेश किये गये हैं जो किसी भी प्रकार से डीलर की मदद नहीं करते हैं। अप्रार्थी का यह कृत्य राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,11 व 17सी का स्पष्ट उल्लंघन है। तहत न्यायालय ने अपीलान्ट डीलर को साक्ष्य सबूत का मौका देकर विधिवत निर्णय पारित किया है। अपीलाधीन आदेश में हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं पाते हैं। अस्तु अपील अपीलान्ट काबिल खारिज के रहती है।

अतः आदेश है कि :–

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है। निर्णय प्रति के साथ तहत पत्रावली जिला रसद अधिकारी भरतपुर को लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 08.02.2023 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर ,
भरतपुर